

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

E-Mail- caodlb@gmail.com
Tel/Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(302)लेखा/डीएलबी/14एफसी/2015/18987

दिनांक: 9.....02.2016

—:: स्वीकृति आदेश ::—

विषय : 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जनरल बेसिक ग्राण्ट राशि नगर निगमों के बैंक खाते में हस्तान्तरण बाबत।

निर्देशानुसार चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत तृतीय किस्त के रूप में राज्य की नगर निगमों को राशि रुपये 1179.66 लाख (अक्षरे रुपये ग्यारह करोड़ उन्नासी लाख छियासठ हजार मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुए आवंटित किये जाने तथा सम्बन्धित नगर निगमों के बैंक खातों में हस्तान्तरित किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

विकलेय मद

मांग संख्या - 29

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

191- नगर निगम को सहायता

(35) - 14वें वित्त आयोग के तहत अनुदान

[01] 14वें वित्त आयोग के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान

12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना भिन्न)

बजट प्रावधान

स्वीकृत प्रावधान 9528.64 लाख

पुनर्विनियोजन +3618.20 लाख

पूर्व स्वीकृति पर व्यय 11967.18 लाख

इस स्वीकृति पर व्यय 1179.66 लाख

शेष 0.00 लाख

(Amount in lacs)

Sr. No.	Name of ULB	Amount
1	Nagar Nigam Jaipur	480.51
2	Nagar Nigam Jodhpur	176.77
3	Nagar Nigam Kota	213.11
4	Nagar Nigam Ajmer	90.89
5	Nagar Nigam Bikaner	112.47
6	Nagar Nigam Udaipur	63.25
7	Nagar Nigam Bharatpur	42.66
Total		1179.66

आवंटित राशि का व्यय 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही किया जावे। यदि राशि का व्यय दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया तो उस हेतु निगम के आयुक्त व लेखा शाखा के वरिष्ठतम अधिकारी उस कृत्य हेतु उत्तरदायी होंगे।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी.क्रमांक 271600066 दिनांक 08.02.2016 से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी की जा रही है।

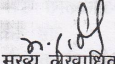
(पुरुषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(302)लेखा/डीएलबी/14एफसी/2015/18988-19045 दिनांक: 9.....02.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
03. कार्यकारी निदेशक, RUDSICO जयपुर।

04. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय/आर्थिक मामलात) विभाग, राज0 जयपुर।
05. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर।
06. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
07. संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
08. जिला कलेक्टर, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
09. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. लेखाधिकारी, प्रधान महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर।
11. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
12. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर।
13. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय एवम् आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति में वर्णित राशि का अविलम्ब DD/Pay order/RTGS ICICI Bank Ltd. Rajapark, Jaipur के पक्ष में तैयार कराकर उपलब्ध करावे ताकि RTGS के माध्यम से राशि सम्बन्धित नगरीय निकायों को निर्धारित अवधि में हस्तान्तरित की जा सके।
15. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्वीकृति में आपकी निकाय के सम्मुख अंकित राशि निकाय के बैंक खाते में प्राप्त होना सुनिश्चित करावे। यदि उक्त राशि निकाय के बैंक खाते में निर्धारित समय सीमा में हस्तान्तरित नहीं होती है तो अविलम्ब विभाग में दूरभाष नम्बर 0141-2223074 पर अधोहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क करें। इस राशि का उपयोग :-
 - (1) 14वें वित्त आयोग की सिफारिश संख्या 9.55 व 9.56 के अनुसार "केवल मूलभूत सेवाओं, जो कि उन्हें संबंधित विधियों द्वारा सौंपी गयी हों, पर खर्च करने के लिये निर्दिष्ट किया जाये।" (मूलभूत सेवायें यथा स्वच्छता जिसमें सेप्टेज प्रबंधन शामिल है, सीवेज, जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाईट, स्थानीय निकायों की सड़कों एवं फुटपाथों, पार्कों, मैदानों तथा कब्रिस्तान एवं श्मशान स्थलों का रख-रखाव जैसी मूलभूत सेवाओं के प्रदान को, सुदृढ करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए)" में किया जावे।
 - (2) यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी एवं सीवरेज के कार्यों हेतु एवं इन कार्यों से संबंधित देयताओं का भुगतान प्राथमिकता से किया जावे।
 - (3) आवंटित राशि की 10% राशि निकायों के ई-गवर्नेंस हेतु RUDSICO (RUIFDCO) को भिजवावे।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि कृपया आप उक्त राशि के हस्तान्तरण की सूचना आपके क्षेत्राधिकार की निकायों से संकलित कर आश्वस्त होवे, कि राशि सम्बन्धित निकाय के खातों में जमा हुई अथवा नहीं।
17. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.बैंक लिमिटेड, राजापार्क शाखा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सूची के अनुसार राशि सम्बन्धित निकायों के बैंक खाते में हस्तान्तरित कर सूचना विभाग को उपलब्ध करावे।
18. प्रभारी आई. टी. प्रकोष्ठ/प्रभारी ई-गवर्नेंस/समन्वयक, सीएमएआर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
19. बजट शाखा/अंक मिलान शाखा।
20. सुरक्षित पत्रावली।


 मुख्याधिकारी